उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़।

आदेश पत्रक

नीलाम पत्र अपील वाद संख्या – 16/2010

परियोजना पदाधिकारी, सिरका सी0सी0एल0 बनाम् राज्य (सहायक खनन पदाधिकारी,रामगढ़)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

आदेश :–

23/06/2014

नीलाम पत्र पदाधिकारी(खनन), हजारीबाग में नीलाम पत्र वाद संख्या– 06/08–09 सहायक खनन पदाधिकारी, रामगढ़ बनाम् परियोजना पदाधिकारी, सौन्दा डी0 कोलियरी, में दिनांक 29.01.2010 में पारित आदेश के विरूद्ध अपील आवेदन दायर किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् दिनांक 04.03.2011 को वाद अंगीकृत करते हुए उभय पक्ष को विधिवत् सूचना निर्गत कर वाद की सुनवाई प्रारम्भ की गई है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना, निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख नीलाम पत्र वाद संख्या– 06/08–09 का अनुशीलन किया तथा अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि खान एवं भूतत्व विभाग के मुख्यालय द्वारा एक समिति गठित किया गया था, जिसने 09.06.07 को सौन्दा डी0 कोलियरी का निरीक्षण किया गया एवं जांच के क्रम में मापी के अधार पर 58291 MT "B" ग्रेड कोयले को "C" ग्रेड में प्रेषण किये जाने के कारण 50.00 रूपये प्रति टन की दर से अन्तर देय स्वामिस्व की राशि एवं अद्यतन सूद की वसूली के लिए निम्न न्यायालय में नीलाम पत्र वाद दायर किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने पक्ष में न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहें।

अतः निम्न न्यायालय के नीलाम पत्र वाद संख्या 06/08–09 में पारित आदेश से सहमत होते हुए अपीलार्थी का आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। आदेश की प्रति सहायक खनन पदाधिकारी, रामगढ़ एवं परियोजना पदाधिकारी, सौन्दा डी0 कोलियरी को भेजें। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
रामगढ़।

उपायुक्त,
रामगढ़।